



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 835]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 6, 2016/अग्रहायण 15, 1938

No. 835]

NEW DELHI, TUESDAY DECEMBER 6, 2016/AGRAHAYANA 15, 1938

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 दिसम्बर, 2016

सा.का.नि. 1116(अ).—केंद्रीय सरकार धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) की धारा 35 के साथ पठित धारा 73 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (द) और (झ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, धन शोधन निवारण (अपील) नियम, 2005 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम धन शोधन निवारण (अपील) संशोधन नियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. धन शोधन निवारण (अपील) नियम, 2005 में नियम 3 के उपनियम (2) की सारणी में, क्र.सं. 3 के सामने दूसरे स्तंभ में "और 1 लाख रु. तक" अक्षरों और अंकों का लोप किया जाएगा।

[अधिसूचना सं. 5/2016/पी.12011/8/2016-ईएस-सैल-डीओआर]

विप्लव कुमार नस्कर, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि.सं. 449(अ), तारीख 1 जुलाई, 2005 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 6th December, 2016

G.S.R. 1116(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (r) and clause (x) of sub-section (2) of section 73, read with section 35 of the Prevention of Money-laundering Act, 2002 (15 of 2003), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Prevention of Money-laundering (Appeal) Rules, 2005, namely:-

1. (1) These rules may be called the Prevention of Money-laundering (Appeal) Amendment Rules, 2016.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Prevention of Money-laundering (Appeal) Rules, 2005, in rule 3, in sub-rule (2), in the Table, against serial number 3, in the second column, the words, letters and figure “and upto Rs.1 lakh” shall be omitted.

[Notification No. 5/2016/P.12011/8/2016-ES Cell-DOR]

BIPLAB KUMAR NASKAR, Under Secy.

Note : The principal rules were published in Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-Section (i) *vide* number G.S.R. 449(E), dated the 1st July, 2005.